रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. DL-33004/93

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 1993/ज्येष्ठ 7, 1915
No. 310] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 28, 1993/JYAISTHA 7, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 1993

का.आ. 340 (अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या

का.आ. 477(अ), तारीख 25 जुलाई, 1991 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची 11 में,—

(1) कच्ची खाल तथा चमड़े लेदर, साभर चर्म लेदर तथा खुले (पेटेट) चमड़े से संबंधित मद 9 और उसके नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

| | |
|---|---|
| 9 | साभर नर्म लेदर |
| 41 08 | हिरण (हिरन के समुच्चय सहित) का चमड़ा |

(ii) मोटर कार से संबंधित मद 11 और उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, और

(iii) घरेलू वस्तुओं (घरेलू रफ्रीजरेटर, बरतन धोने की घरेलू मशीनों, धुलाई करने की प्रोग्रामेबल घरेलू मशीनों, माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनर) से संबंधित मद 18 और उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. स. 10(49)/92-एल.पी.]

पी. जी. माकड, अवर सचिव

टिप्पण

मूल अधिसूचना पश्चात्वर्ती निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई थी—

(1) अधिसूचना संख्या 568(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1991

(2) अधिसूचना संख्या 272(अ) तारीख 9 अप्रैल, 1992

(3) अधिसूचना संख्या 881(अ) तारीख 1 दिसम्बर, 1992

(4) अधिसूचना संख्या 314(अ) तारीख 13 मई, 1993

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 1993

S.O. 340(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development No. S.O. 477(E), dated the 25th July, 1991, namely :—

In the said notification, in Schedule II, —

(i) for item 9, relating to raw hides and skins, leather, chamois leather and patent leather, and the entries thereunder, the following shall be substituted, namely :—

"9. Chamois leather

41.08 Chamois (including combination chamois) leather";

(ii) item 11, relating to motor cars, and the entries thereunder shall be omitted, and

(iii) item 18, relating to white goods (domestic refrigerators, domestic dishwashing machines, programmable domestic washing machines, microwave ovens, airconditioners), and the entries thereunder shall be omitted.

[F. No. 10(49)/92-LP]

P.G. MANKAD, Addl. Secy.

NOTE :—The principal notification was subsequently amended by —

(1) Notification No. 532(E) dated 19th August, 1991.

(2) Notification No. 272(E) dated 9th April, 1992.

(3) Notification No. 881(E) dated 1st December, 1992.

(4) Notification No. 314(E) dated 13th May, 1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993